भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 314

10 अगस्त, 2021

"गन्ने की बकाया राशि का भुगतान"

***314. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:**

श्री डी. के. सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए जाने में अत्यधिक विलंब किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों से विलंब से भुगतान प्राप्त करने वाले किसानों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 314 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) से (घ): चीनी मिलों द्वारा गन्ना उगाने वाले किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय सरकार के पास किसान-वार सूची नहीं होती है। चीनी मौसम 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में अखिल भारतीय आधार पर गन्ना किसानों को देय गन्ना मूल्य क्रमशः 85179 करोड़ रुपए, 86723 करोड़ रुपए और 75845 करोड़ रुपए था। चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने और किसानों को समय पर भुगतान करने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर विभिन्न हस्तक्षेप कर रही है जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से अतिरिक्त चीनी को इथनॉल के लिए डाइवर्ट करना, गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करना, चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, बफर स्टॉक के रख-रखाव के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करना आदि। इन उपायों के परिणामस्वरूप, चीनी मौसम 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए गन्ना बकाया घटकर क्रमशः 193 करोड़ रुपए, 403 करोड़ रुपए और 142 करोड़ रुपए हो गया है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है। किसानों को गन्ना बकाया के भुगतान के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियाँ राज्य सरकारों के पास हैं क्योंकि उनके पास इसके कार्यान्वयन के लिए फील्ड संबंधी आवश्यक संरचना उपलब्ध होती है। केंद्रीय सरकार किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने और चूककर्ता मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श-पत्र जारी करती है।